न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 443 सन 2018
अनवान :–

1. सांवरमल पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी भगवान तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 03.01.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 231/220 के खसरा न0 59 की 0.9610हैक भूमि जिसमें वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या 232/221 के खसरा न0 562 की 6.8920हैक भूमि स्थित है जिसमें 199 हिस्से में बहिब यानि 1/2 हिस्सा का वाद खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि में नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम सांवलराम पुत्र लेखुराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम सावरमल पुत्र लेखराम है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से खातेदारी अधिकारों का हनन होता हे जबकि अन्य सभी दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड, राशन कार्ड , भामाशाह कार्ड, सभी दस्तावेजात में सावरमल दर्ज है इसलिये वादी अपना सही नाम सावरमल दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्रि फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से वादीया के वाद /नाम संशोधन के सम्बध में रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 231/220 के खसरा न0 59 की 0. 9610हैक भूमि जिसमें वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या 232/221 के खसरा न0 562 की 6.8920हैक भूमि स्थित है जिसमें 199 हिस्से में बहिब यानि 1/2 हिस्सा का वाद खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी का नाम सावलराम पुत्र लेखराम दर्ज है वादी के अन्य सभी दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड बैक पास बुक में सांवरमल पुत्र लेखराम दर्ज है इसलिये वादी का नाम संशोधन किया जाकर सावलराम के स्थान पर सावरमल पुत्र लेखराम संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 231/220 के खसरा न0 59 की 0.9610हैक भूमि जिसमें वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या 232/221 के खसरा न0 562 की 6.8920हैक भूमि स्थित है जिसमें 199 हिस्से में बहिब यानि 1/2 हिस्सा का वाद खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम सावलराम पुत्र लेखराम दर्ज है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड बैक पास बुक में सांवरमल पुत्र लेखराम दर्ज है इसलिये तहसीलदार नोहर ने वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सावलराम पुत्र लेखराम के स्थान पर सावरमल पुत्र लेखराम संशोधन की अभिशषा की गई है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी डिक्रि किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 231/220 के खसरा न0 590 की 0.9610हैक भूमि मुश्तरका खाता एवं खाता संख्या 232/221 के खसरा न0 562 की 6.8920हैक भूमि में से 199 हिस्सा भूमि में 1/2 हिस्सा बहिब यानी दोनो खातों में वादी का नाम सांवलराम पुत्र लेखराम दर्ज है के स्थान पर सावलराम उर्फ सावरमल पुत्र लेखराम जामि मेघवाल निवासी भगवान संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्रि जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SZaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)